

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 90/2018

1. करणी सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर।

—वादी—

बनाम

1. हरमन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर।
2. जलन्धर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

—प्रतिवादीगण—

1. श्री दलजीत सिंह, अधिवक्ता
2. श्री सतवीर कुमार, अधिवक्ता

—वादीगण की ओर से—

—प्रतिवादीग संख्या 1 व 2 की ओर से—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए

दिनांक : 10/12/19

—निर्णय—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्री करणपुर से द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 23.10.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा सहमति दी गई एवं निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर दी जावें। तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा दी गई सहमति एवं तहसीलदार श्री करणपुर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक 3 वी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/11 के मु.न. 58 व 61/21 की कुल 5.946 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं:-

1. करनी सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच का हिस्सा:-
चक 3 वी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/11 के मु.न. 58 के किला न. 2,3,4,5 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, किला न. 6 में 0.076 हैक्टर कुल 0.988 हैक्टर।
2. हरमन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच का हिस्सा:-
चक 3 वी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/11 के मु.न. 58 के किला न. 6 में 0.114 हैक्टर, किला न. 7,8,9 सालम-सालम, किला न. 10/2 में 0.126 हैक्टर, किला न. 11 ता 14, 17 ता 24 सालम-सालम कुल 4.035 हैक्टर नहरी एवं मु.न. 61/21 में 0.101 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 4.136 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि।
3. जलन्धर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एच का हिस्सा:-
चक 3 वी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/11 के मु.न. 58 के किला न. 6 में 0.063 हैक्टर, किला न. 15,16,25 सालम-सालम, कुल 0.822 हैक्टर नहरी भूमि।



(मूलचन्द लूणिया)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्ताम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा
हिकी जारी हो। इस सम्बन्ध में कोई राजस्व हानि या राजस्व देय है तो वह सम्बन्धित
पक्षकार वहन करेगे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 19/12/11 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



(Handwritten signature)

{मूलवन्द कृषियोग आरक्षण}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर

